

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3725

उत्तर देने की तारीख-25/03/2026

ओडिशा के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

3725 श्रीमती सुलता देव:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने ओडिशा के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने हेतु कोई कदम उठाया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी वर्तमान स्थिति और भावी भर्ती योजनाएँ क्या हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और बहुसंख्य स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसलिए, शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और तर्कसंगत तैनाती संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा, भर्ती एक सतत् प्रक्रिया है और रिक्तियाँ कई कारकों जैसे सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, छात्रों की संख्या में वृद्धि के कारण शिक्षकों की बढ़ी हुई आवश्यकता आदि के कारण उत्पन्न होती हैं।

केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के तहत, राज्य सरकार को उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकता के आधार पर राज्य द्वारा तैयार की गई वार्षिक योजनाओं के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है और यह उनकी संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) प्रस्तावों में परिलक्षित होता है, जिसे योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों और अनुमोदित किए गए हस्तक्षेपों के लिए राज्य की वास्तविक और वित्तीय प्रगति के अनुसार राज्य के परामर्श से स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदन किया जाता है। केन्द्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मानदंडों के अनुसार स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए उपयुक्त छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

सरकार पारदर्शी और योग्यता आधारित प्रक्रिया अपनाकर शिक्षकों की समय पर भर्ती सुनिश्चित करने के लिए, शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर सलाह देती है।

ओडिशा राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, ओडिशा के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती एक सतत प्रक्रिया है। सरकार द्वारा सीधी भर्ती और पदोन्नति के माध्यम से रिक्त शिक्षण पदों को भरने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले दो वर्षों में 22502 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। 3443 माध्यमिक शिक्षकों के लिए नियुक्ति आदेश जारी किए जाने हेतु तैयार है। 1192 रिक्तियों को भरने के लिए विभिन्न भर्ती एजेंसियों को मांग भेज दी गई है।
